कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला

क्रमांकः— स्था./2026/ 42 दिनांकः— 12/03/26

:: कार्यालय आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा प्रदत निर्देशों के अनुसरण में इस कार्यालय के पूर्वादेश क्रमांक स्था./2025/55 दिनांक 12.03.2025 द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अन्तर्गत गठित **"आंतरिक शिकायत समिति"** में आशिंक संशोधन करते हुए उक्त समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता हैः—

1. **श्रीमती रेखा रानी (अति. प्रभार)** — अध्यक्ष
 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
 जोधपुर जिला।

2. **श्रीमती पारूल गहलोत,** — सदस्य
 आशुलिपिक ग्रेड—II

3. **श्री हरिकिशन व्यास,** — सदस्य
 कार्यालय सहायक

4. **श्रीमती सरोज** — सदस्य
 क्लर्क ग्रेड—I

5. **श्रीमती सुशीला बोहरा,** — सदस्य
 अध्यक्ष, नेत्रहीन विकास संस्थान,
 जोधपुर।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जोधपुर जिला

क्रमांकः— स्था./2026/645-652 दिनांकः— 12/03/26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. विशिष्ट एवं समस्त अधीनस्थ न्यायालय, जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र।
3. श्रीमती रेखा रानी (अति. प्रभार) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,जोधपुर जिला।
4. श्री/श्रीमती
5. श्रीमती सुशीला बोहरा, अध्यक्ष, नेत्रहीन विकास संस्थान, जोधपुर।
6. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित पत्रावली।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जोधपुर जिला